केवल नकल की फ़ीस के लिए

आवश्यक स्टाम्प सहित प्रार्थना पत्र देने की तारीख Date on which application is made for copy accompanied by the requisite stamps	नोटिस बोर्ड पर नकल तैयार होने की सूचना की तारीख Date of passing notice on notice board	कल वार्षिक दिए जाने की तारीख Date of Delivery of copy	नकल वार्षिक देने की अधिकारी का हस्ताक्षर Signature of official delivering copy

न्यायालय उपजिलाधिकारी निजामाबाद आजमगढ़

वाद सं० T-201915060200284 अन्तर्गत धारा - 80 रा०सं० 2006

मौजा - [illegible] परगना व तहसील निजामाबाद आजमगढ़

श्री ठाकुर जी महाराज समिति [illegible]

बनाम [illegible]

(निर्णय)

नकल आदेश दिनांक 29-1-19 को समस्त कागजों

के साथ [illegible]

आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी
मण्डल :आजमगढ़,जनपद :आजमगढ़,तहसील :निजामाबाद
वाद संख्या :-00284/2019
कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :-T201915060200284
श्री ठाकुर जी महाराज समिति ट्रस्ट प्रबंधक जितेन्द्र राय बनाम ग्रामपंचायत
अंतर्गत धारा:- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

मौजा-खूर्रमपुर परगना व तहसील निजामाबाद आजमगढ़।

प्रस्तुत वाद श्री ठाकुर जी महाराज समिति ट्रस्ट शान्ती नगर कोल पाण्डेय तहसील सदर बजरिए प्रबंधक जितेन्द्र पुत्र सर्वदेव सा0 बेलऊ तहसील लालगंज जनपद-आजमगढ़ द्वारा दाखिल किया गया, जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि वादी मौजा-खूर्रमपुर के गाटा संख्या-179/5.039 हे0 में हम वादी का नाम संक्रमणीय भूमिधर का काबिज दखील है। विवादित आराजी में संस्था का भवन निर्मित है जिसमें शैक्षणिक कार्य सम्पादित होता है। अतः आराजी उपरोक्त को अकृषिक घोषित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

पत्रावली जाँच हेतु तहसीलदार निजामाबाद के पास भेजी गयी। तहसीलदार निजामाबाद द्वारा जाँचोपरांत अपनी जाँच आख्या दिनांक 10.05.2018 को उपलब्ध कराया गया। तहसीलदार निजामाबाद द्वारा अपनी जाँच आख्या में यह उल्लेख किया गया है कि गाटा संख्या-179मि0/1.587 हे0 में संस्था का नाम बतौर सह संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। मौके पर विद्यालय का भवन बना है। तहसीलदार निजामाबाद द्वारा आराजी नेजाई को अकृषिक घोषित किये जाने हेतु आख्या उपलब्ध करायी गयी है। वादी द्वारा साक्ष्य के रूप में खसरा व मौके पर फोटो संलग्न किया गया है।

मेरे द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों व तहसीलदार निजामाबाद की आख्या, नकल खसरा, व नजरी नक्शा व फोटो के अवलोकन से स्पष्ट है कि आराजी नेजाई में संस्था के नाम सह संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आराजी नेजाई में मौके पर कृषि कार्य नही किया जाता है। आराजी नेजाई में मौके पर विद्यालय का भवन बना हुआ है। आराजी नेजाई अकृषिक प्रयोजन में उपयोग किया जा रहा है। संस्था द्वारा निर्धारित उद्घोषण शुल्क मु0-95260/रू0 व न्याय शुल्क मु0-95260/रू0 ट्रेजरी चालान से जमा कर दिया गया है। अतः आराजी नेजाई को अकृषिक घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः मौजा-खूर्रमपुर परगना व तहसील निजामाबाद आजमगढ़ के खतौनी सन् 1421 से 1426 फसली के खाता संख्या-340 के गाटा संख्या-179मि0/1.300 हे0 अकृषिक घोषित किया जाता है। तद्नुसार मालगुजारी माफ हो। तद्नुसार परवाना अमलदरामद जारी हो। बाद अनुपालन पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक 29.01.2019

(वागीश कुमार शुक्ल)
उपजिलाधिकारी-निजामाबाद,
आजमगढ़।

उप जिलाधिकारी/उप जिला मजिस्ट्रेट

अपृष्ठ संख्या : 304
... का नाम जितेन्द्र
... शुल्क 14.
... देने की तिथि 29-1-19
... तैयार होने की तिथि 29-1-19
... की तिथि 29-1-19
हस्ताक्षर ...

सत्य प्रतिलिपि
... अहलमद
... निजामाबाद
आजमगढ़